



एक नजर में

डीएलएड परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी

भोपाल, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा आयोजित डीएलएड मुख्य परीक्षा के पहले और दूसरे वर्ष के छात्रों के लिए मंडल ने परीक्षा तिथि जारी कर दी है. साथ ही मंडल ने परीक्षा के प्रवेश पत्र ऑफिशियल पोर्टल पर अपलोड कर दिए हैं. मण्डल से मिली जानकारी के अनुसार डी एल एड की यह मुख्य परीक्षाएं 2 जून से शुरू होने जा रही हैं. परीक्षा में शामिल होने वाले सभी पहले और दूसरे वर्ष के परीक्षार्थी अपना एडमिट कार्ड एमपी ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं.

राजस्व अधिकारी संघ आज देगा ज्ञापन

भोपाल, मध्य प्रदेश राजस्व अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा) संघ 27 मई को प्रदेशभर में कलेक्टरों को ज्ञापन देगा. संघ प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉ शैलेन्द्र शर्मा ने बताया है कि संघ के प्रांतीय अध्यक्ष डॉ. धर्मेश सिंह चौहान के निदेश पर तहसील रामपुरा जिला नीमच के तत्कालीन तहसीलदार बालकृष्ण भवना के विरुद्ध ईओडब्ल्यू में नियम विरुद्ध तरीके से की गई के एफआईआर के विरोध में प्रदेश के सभी 55 जिलों में एक साथ 27 को जिला कलेक्टरों के माध्यम से प्रमुख सचिव (राजस्व विभाग) और डीजी ईओडब्ल्यू को ज्ञापन सौंपा जाएगा. तहसीलदार मकाना पर 2019 के फौती नामांतरण मामले में ईओडब्ल्यू में प्रकरण दर्ज कराया गया था.

सभी एकजुट होकर करें ड्रग्स का खात्मा

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 26 मई. अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान ने अपील की है कि सभी एक जुट होकर ड्रग्स का खात्मा करें. 'नशामुक्त भारत अभियान' के तहत म.प्र. जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वालर्मी), भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने प्रतिभागियों को संबोधित किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि नशा केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार, समाज एवं राष्ट्र की प्रगति को भी प्रभावित करता है. उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहकर

नवनिधि-गिरिबाला के आवेदन पर हुई सुनवाई

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 26 मई. दिवशा शर्मा के मौत के मामले में मंगलवार को जिला कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पुलिस ने मृतका के पिता नवनिधि शर्मा और पूर्व जज गिरिबाला सिंह की तरफ से दायर आवेदनों पर औपचारिक जवाब दिए. मामले की सुनवाई सिविल जज आकांक्षा कुमार उच्चरिया की अदालत में हुई. दिवशा के पिता नवनिधि शर्मा की तरफ से दायर आवेदन को लेकर पुलिस ने अदालत में जवाब दिया कि उन्होंने दूरसंचार के माध्यम से गिरिबाला सिंह के कॉल डिटेल रिकॉर्ड मांगे हैं. इसके लिए

पुलिस ने कोर्ट में दिए जवाब



पुलिस ने संबंधित टेलीकाम कंपनी को एक औपचारिक पत्र भेजा है. पुलिस ने बताया कि इन कॉल रिकॉर्ड्स को जांच फाइल में

केस डायरी जल्द सीबीआई को सौंपी जाएगी

पुलिस कमिश्नर भोपाल संजय कुमार ने दिवशा शर्मा मौत मामले में कहा है कि पुलिस द्वारा दस्तावेजों की इंडेक्सिंग की जा रही है. प्रक्रिया पूरी होने के बाद केस डायरी सीबीआई को सौंप दी जाएगी. इसके बाद मामले की आगे की जांच और समस्त कार्रवाई सीबीआई अपने स्तर पर करेगी. सूत्रों के अनुसार, फॉरेंसिक जांच (एफएसएल) भी सीबीआई अपने हिसाब से दोबारा या आवश्यकतानुसार करा सकती है. मामले का सुपरविजन सीबीआई के डीआईजी अब्दुल कर रहे हैं. सोसिटीवी फुटेज सहित सभी डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं. जांचकर्ताओं ने अदालत को पुष्टि की कि ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रूप से संरक्षित हैं और चल रही जांच का अभिन्न अंग हैं.

स्मार्ट सिटी की भूमि से हटेंगी झुग्गियां

आवास योजना का लाभ लिया, उसके बाद भी नई बनाई झुग्गी

कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के तेवर हुए सख्त

जिनके पास आवास है उन पर होगी एफआईआर

नवभारत संवाददाता
भोपाल, 26 मई. शहर में अतिक्रमण को लेकर कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के तेवर सख्त हैं. जो झुग्गीवाले पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुके हैं और उसके बाद भी नई झुग्गी बनाकर रह रहे हैं. ऐसे लोगों पर अब एफआईआर की कार्रवाई की

जाने की तैयारी है. अवैध झुग्गियों को प्रशासन हटाने की कार्रवाई भी जल्द कर सकता है. लगातार मिल रही झुग्गियां बनने की शिकायतों को देखते हुए कलेक्टर प्रियंक मिश्रा मंगलवार करीब 3 बजे स्मार्ट सिटी क्षेत्र में पहुंचे. वहां उन्होंने शासकीय जमीन पर खाली पड़े प्लॉटों पर बनी झुग्गियों को लेकर अधिकारियों पर नाराजगी जताई. साथ ही तत्काल एसडीएम अर्चना शर्मा को निर्देशित किया कि जिन प्लॉटों पर झुग्गियां बनाई गई हैं, उन्हें जल्द हटवाएं. जिनके साथ पहले से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिल चुके हैं.

शुरू की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई

उसके बाद भी वो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए. स्मार्ट सिटी भवन के आसपास खाली शासकीय भूमि पर लोगों का कब्जा है. एसडीएम अर्चना शर्मा ने बताया कि जल्द ही झुग्गियों की जांच करके नियमानुसार कार्रवाई शुरू की जाएगी. स्मार्ट सिटी की जमीन पर अतिक्रमण न होने दें. कलेक्टर मिश्रा ने स्पष्ट कहा है कि नई झुग्गियां न बनने दें.

अवैध हथियारों के साथ नाबालिग को पकड़ा

15 तलवार और 8 छुरा जब्त

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 26 मई. तलेया थाना पुलिस ने मंगलवार को अवैध हथियार रखने वाले एक नाबालिग को पकड़ा. नाबालिग के पास मिले हथियारों को भी जब्त किया गया. पुलिस के मुताबिक सेन्ट्रल लायब्रेरी तिराहा पर नाबालिग को लायब्रेरी ग्राउंड गेट के पास अपने पास धारदार अवैध छुरा और तलवार के साथ देखा गया. वह इसे बेचने की फिराक में था. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने नाबालिग की तलाशी ली. उसके



पास से मिली दो प्लास्टिक की बोरी में से एक बोरी में 15 तलवार, जिनमें 11 बड़ी व 4 छोटी तलवार मिली. दूसरी बोरी में 8 छुरा मिले, जिनका आकार/प्रकार प्रतिबंधित आकार का होने से नाबालिग से हथियार जब्त किए गए.

अवैध हथियार बनाने वाले आरोपी गिरफ्तार

भोपाल, निशातपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से अलग-अलग तरह के हथियार और इसे बनाने की सामग्री जब्त की है. पुलिस के मुताबिक 22 मई को थाना निशातपुरा क्षेत्र में 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों से पुष्ताख के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर पुलिस टीम को कार्रवाई के लिए रवाना किया गया. सोमवार को सूचना मिली कि न्यू जेल रोड स्थित पंचवटी भरपट के सामने वाला ढाबा एक व्यक्ति अज्ञेय रूप से धारदार हथियारों का निर्माण कर बिक्री कर रहा है. पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी सरदार सिंह लोहार (35) निवासी करौंद को गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपी के पास कुल 16 नग अवैध पुरिसा, 6 नग बेंच, 4 नग बलिया सहित अवैध हथियार निर्माण में प्रयुक्त सामग्री और उपकरण बरामद किए.


अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त ने की अपील



सकारात्मक जीवनशैली अपनाने की बात कही. उन्होंने कहा कि समाज में जागरूकता बढ़ाने के लिए मास्टर ट्रेनर्स की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा इनके माध्यम से गांव-गांव एवं शहरों तक नशामुक्ति का संदेश प्रभावित रूप से पहुंचाया जा सकता है. चौहान ने प्रतिभागियों को साइबर अपराधों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग के प्रति भी

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने व्याख्यान को अत्यंत प्रेरणादायी एवं उपयोगी बताया. प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश में नशामुक्ति अभियान को और अधिक प्रभावी बनाना तथा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाना है.

सजग रहने की सलाह दी. उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में युवाओं को नशे के साथ-साथ ऑनलाइन उगी, साइबर बुलिंग एवं डिजिटल अपराधों से बचाने हेतु जागरूकता आवश्यक है.



राज्यपाल ने किया कलेक्टर को सम्मानित

भोपाल, राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कलेक्टर प्रियंक मिश्रा को सशस्त्र सेना झंडा दिवस निधि के लिए निर्धारित लक्ष्य राशि प्राप्त करने पर प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया. प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह कर्नल राजीव खत्री की ओर से कलेक्टर मिश्रा को दिया.

नगर निगम : एक केबिन में काम कर रहे हैं दो अधिकारी

► हो रही परेशानी, पहले थे दोनों के अलग चेंबर

नवभारत संवाददाता
भोपाल, 26 मई. नगर निगम के नए मुख्यालय में जन्म मृत्यु और विवाह पंजीयक के रजिस्टर एक ही केबिन में कार्य करने को मजबूर हैं. जब इस मुख्यालय भवन में विभागों की शिफ्टिंग की जा रही थी उस समय दोनों रजिस्टरों के लिए अलग-अलग व्यवस्था की गई थी.

लेकिन बाद में दोनों को एक ही केबिन में बैठा दिया गया. यह दोनों रजिस्टर भूतल पर एक ही चेंबर में कार्य कर रहे हैं. जबकि इस भवन में बहुत सारे चेंबर बने हुए हैं. प्रत्येक मंजिल पर अधिकारियों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान है. नगर निगम दोनों के लिए अलग-अलग बैठने के लिए जगह उपलब्ध भी करा सकती है. लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है. दोनों के कार्य आम जनता से जुड़े हुए हैं.

पांच सौ से अधिक जनता प्रतिदिन आती है. शहरी क्षेत्र में विवाह और जन्म मृत्यु के पंजीयन नगर निगम में किए जाते हैं. इसके

लिए नगर निगम में अलग-अलग दो रजिस्टर पदस्थ किए हैं. विवाह पंजीयन के मामले प्रतिदिन चार से पांच ही आते हैं. वहीं जन्म और मृत्यु के मामले प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में आते हैं, जिससे जनता अपनी समस्या को लेकर रजिस्टर से मिलती है. अधिकतर यह होता है कि दोनों कार्यों के लिए एक साथ ही पहुंच जाते हैं समस्या सुनने समय आवाज अधिक होने से समझने में परेशानी होती है. नवीन भवन में आने से पहले विवाह पंजीयन माता मंदिर में और जन्म मृत्यु का पंजीयन कार्यालय आईएसबीटी पर था. तो दोनों के चेंबर भी अलग अलग थे. इसलिए दोनों के कार्य में किसी तरह की बाधा नहीं होती थी.

समग्र का कार्य वार्ड में, प्रभारी मुख्यालय में

बताया जाता है कि पंजीयन शाखा क्षेत्र में एक केबिन है, उसे रजिस्टर के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है. लेकिन उसे समग्र विस्तार अधिकारी को दिया गया है. जबकि समग्र आईडी का कार्य का संबंध निगम मुख्यालय से नहीं है, यह कार्य संबंधित वार्ड और जन कार्यालय स्तर पर ही किए जाते हैं. उनको योजना शाखा में ही चेंबर दिया जा सकता

जन सुनवाई परिसर में पानी की व्यवस्था

खबर का असर

नवभारत संवाददाता
भोपाल, 26 मई. कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जनसुनवाई का नजारा ही बदला हुआ था. जहां पिछले जनसुनवाई में आवेदक पीने के पानी के लिए तरसते रहे थे और भीषण गर्मी में लू के थपेड़ों में सुनवाई के लिए अपने नंबर कार्ड इंतजार करते हुए देखे गए थे. जिसका समाचार नवभारत में जनसुनवाई की हकीकत : अधिकारी एसी में, जनता लू के थपेड़ों में शीर्षक के साथ प्रकाशित किया गया था. इस समाचार के बाद कलेक्टर ने जनता के प्रति

जनसुनवाई में 181 आवेदन प्राप्त हुए



संवेदनशीलता का परिचय देते हुए 26 मई को तीन कूलर और ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर के अलावा अलग से पानी के केंपर भी रखवाए, जिससे जनता को राहत मिली.

आधार सुपरवाइजर को दिया गया प्रशिक्षण

भोपाल, जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के तहत आधार सुपरवाइजरों को लोगों की आधार संबंधी समस्याओं के निराकरण संबंधी प्रशिक्षण का आयोजन किया. प्रशिक्षण में यूनिज आईडीया के प्रशिक्षक पुष्पेंद्र तिवारी की ओर से आधार पंजीयन, अपडेशन प्रक्रिया में आने वाले एक्सप्लान प्रकरणों के निराकरण, आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन तथा तकनीकी प्रक्रियाओं के संबंध में विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया. प्रशिक्षण के दौरान आधार सेवाओं के संचालन, समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए गए.

पानी पीते ही व्यक्ति ने तोड़ा दम लू लगने से मौत की आशंका

नवभारत रिपोर्टर

भोपाल, 26 मई. भीषण गर्मी के मौसम में एक कामकाजी व्यक्ति को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पिपलानी थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने शव का पीएम कराने के लिए भेजा. मर्ग कायम कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान राजू यादव (55) निवासी गौतम नगर के रूप में हुई है. राजू मजदूरी करते थे और इंद्रपुरी में एक निर्माणधीन मकान में काम कर रहे थे. सोमवार को

दोपहर के समय राजू, चाय पीने एक दुकान पर गए. वहां राजू यादव ने जैसे ही पानी पिया और वह जमीन पर गिर गए. मौजूद लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया. डॉक्टरों ने जांच करते हुए राजू को मृत घोषित कर दिया. हमीदिया अस्पताल की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है. आशंका जताई जा रही है कि राजू की मौत लू लगने से हुई है. हालांकि यह भी कयास लगाया जा रहा है कि राजू हार्ट अटैक आया है. सोमवार को राजधानी में ढाई दशक बाद पारा 43.4 डिग्री पर पहुंचा था.

माँकड़िल ▶ अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में किया अभ्यास

आपात स्थिति से बचाव के लिए माँकड़िल



नवभारत संवाददाता
भोपाल, 26 मई. राजधानी में मंगलवार की देर शाम को आपात स्थिति से बचाव के लिए माँकड़िल का आयोजन किया गया. एनडीआरएफ, एस डी ईआरएफ एवं होमगार्ड्स की संयुक्त टीम ने शहर के रंगमहल के पास अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय आवास परिसर में हवाई हमले जैसी आपदात स्थिति से निपटने के लिए माँकड़िल की. माँकड़िल के दौरान इमरजेंसी सायरन बजते ही एनडी आरएफ एवं एसडीआईआरएफ की टीमों ने

उपकरणों के साथ मौके पर पहुंच गए और बचाव अभियान प्रारंभ किया. बहुमंजिला आवासीय भवनों से लोगों को निकाल सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया. ऊपरी मंजिलों पर फंसे लोगों को रोप रेस्क्यू तकनीक और हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म की सहायता से सुरक्षित बाहर निकाला गया. वहीं, अग्निशमन दल ने कृत्रिम रूप से उत्पन्न आग पर काबू पाया. इस अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम, पैरामेडिकल स्टाफ तथा 108 एम्बुलेंस में घायलों को प्राथमिक उपचार किया गया. वहीं गंभीर मरीजों को ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया गया.

इनका कहना है

माँकड़िल का उद्देश्य विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत बनाना है. स्थानीय नागरिकों को आपातकालीन परिस्थितियों में अपना जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी देना. सुमित कुमार पांडेय आईएएस, एडीएम

पाँक्सो एक्ट के मामले संवेदनशीलता से निपटाएं

पुलिस अधीक्षक ने बैठक में दिए निर्देश

नवभारत रिपोर्टर
भोपाल, 26 मई. पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडेय ने जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अपराध समीक्षा बैठक ली. बैठक में जिले की कानून व्यवस्था, लॉबिग अपराध, महिला संबंधी अपराध, साइबर अपराध, सीएम्प हेल्लोलाइन शिकायतों एवं आगामी त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए विस्तृत समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश उन्होंने दिए. इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्रों में विस्फोटक पदार्थ, पटाखा निर्माण एवं पटाखा भंडारण की वैधानिक



संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के लिए निर्देशित किया गया. साथ ही चिन्हित अपराधों की सतत मॉनिटरिंग कर शत-प्रतिशत सजायाबी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया. पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्रों में विस्फोटक पदार्थ, पटाखा निर्माण एवं पटाखा भंडारण की वैधानिक जांच करने, अवैध जुआ-सट्टा एवं अवैध शराब के विरुद्ध सतत प्रभाव कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया. इसके अतिरिक्त सीईआईआर पोर्टल पर ट्रेसिबल मोबाइल की शीघ्र रिकवरी एवं पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लॉबिग प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण करने के निर्देश भी दिए गए.